Subject :- Sociology Date:- 27/04/2020
Class : - D-II (H) Paper : - IIIrd & Subsidiary
Topic : - अनुसूचित जाति एवं जनजाति की स्थिति पर निबन्ध
By : - Dr. Shyamanand Choudhary Guest Teacher
Marwari College, Darbhanga, 9507941619
Online Study Material No:- (51)

भारतीय जाति व्यवस्था में कुछ जातियों को सदियों से विभिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अशक्तताओं एवं शोषण का सामना करना पड़ा है। जाति व्यवस्था हिन्दू समाज की देन है जो अन्यत्र नहीं पायी जाती। जाति के स्तर पर सबसे ऊँचा स्थान ब्राह्मणों का रहा है। उसके बाद क्षत्रियों और वैश्यों के स्थान क्रम में आते हैं। जाति संरचना में सबसे नीचा स्थान शुद्रों का रहा है। परम्परागत मत के अनुसार जातियों की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई। उनके मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, कमर से वैश्य तथा पैर से शुद्र उत्पन्न हुए। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने ही उनके बीच कार्यों का वितरण भी किए। ब्राह्मणों को देवत्व के साथ ही अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करने, कराने, दान लेने तथा दान देने का कार्य मिला। क्षत्रियों को शक्ति एवं अध्ययन, यज्ञ करने, दान देने, अस्त्र-शस्त्रों के प्रयोग तथा शासन का कार्य मिले। वैश्यों को कार्य की शक्ति तथा अध्ययन, यज्ञ करने, दान देने, कृषि, पशुपालन तथा व्यवसाय से सम्बद्ध कार्य मिले। शुद्रों को तीनों ऊँची जातियों की सेवा करने का कार्य मिला। दैवी शक्ति द्वारा सृजित होने के कारण इस व्यवस्था को स्थायी एवं अपरिवर्तनशील समझा जाता है।

जाति व्यवस्था में समाज स्थायी एवं स्तरित खंडों में विभक्त रहता है, जिसमें व्यक्तियों की स्थिति जन्म के आधार पर निर्धारित होती है। इस व्यवस्था में मनुष्य के बीच असमानता आधारभूत होती है। जाति संरचना ऊपर से नीचे तक कई स्तरों में विभक्त रहती है, जिसमें अलग-अलग जातियों और उपजातियों के स्थान निश्चित रहते हैं। इस संरचना में ऊपर उठना कठिन है। जाति व्यवस्था में व्यवसाय, खान-पान, विवाह, सामाजिक आचरण एवं मूल्यों तथा रहन-सहन के तरीकों पर कड़े प्रतिबन्ध लगे होते हैं। शुद्रों या नीची जातियों की श्रेणी में आनेवाले लोगों पर तो कई तरह के कड़े सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक प्रतिबन्ध लगे होते हैं। इनमें कई को अस्पृश्य समझा जाता है। और अधिकांश को गंदे एवं कठिन शारीरिक रूप में कार्यों पर लगाया जाता है। ऊँची जातियों की तुलना में ये कई दृष्टिकोणों से पिछड़ी अवस्था में हैं।

इसी तरह देश के विभिन्न जंगली एवं पहाड़ी इलाकों में रहनेवाली कई जनजातियाँ भी सभ्यता के विकास के क्रम से वंचित रही हैं। उनकी अपनी-अपनी प्राचीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक परम्पराएँ हैं अशिक्षा, अंधविश्वास तथा निर्धनता से ग्रस्त देश की कई जनजातियाँ सभ्य समाज की तुलना में अत्यंत ही पिछड़ी अवस्था में हैं। ये जन जातियाँ हिन्दू जाति-व्यवस्था के अंग नहीं हैं। इनका अपना-अपना विशिष्ठ सामाजिक संगठन और जीवनयापन का ढंग होता है।

अनुसूचित जाति और जनजाति का अर्थ

संविधान के अनुच्छेद 341 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित जातियों की श्रेणी में उन अति पिछड़ी जातियों को सम्मिलित करने का आदेश दिया गया, जिन्हे वे उनकी सूची में सम्मिलित किए जाने के उपयुक्त समझते हैं। इसी तरह संविधान के अनुच्छेद 342 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित जनजातियों की सूची तैयार करने से सम्बद्ध उपबंध है। 1950 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा इन जातियों और जनजातियों की सूचीयाँ तैयार हुई। संविधान के उपबंधों के अनुसार तैयार की गई सूचियों में सम्मिलित किए जाने के कारण ही इन अति पिछड़ी जातियों और जनजातियों को अनुसूचित जाति एवं जनजाति कहा जाता है।

भारत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की जनसंख्या और कुल जनसंख्या में उनका प्रतिशत (1951 – 1981 ई०) :—

वर्ष	देश की कुल जनसंख्या (करोड़ में)	अनुसूचित जातियों की संख्या (करोड़ में)	देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की सं०	अनुसूचित जनजाति की सं० (करोड़ में)	देश की कुल सं० में अं०सं०
1951	36.10	5.53	15.3	1.91	5.3
1961	43.92	6.44	14.6	2.98	6.8
1971	54.82	8.25	15.0	4.11	7.5
1981	68.52	10.48	16.8	5.16	7.5

Scanned with CamScanner

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 1951 से 1981 ई० तक सभी वर्षों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की संख्या देश की कुल जनसंख्या के पाँचवें भाग से भी अधिक रही है। 1981 में उसकी संख्या देश की कुल जनसंख्या का लगभग एक-चौथाई रही है। जनसंख्या के इतने बड़े भाग को सदियों से विभिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक अक्षमताओं का सामना करना पड़ा है।

अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कल्याण कार्यक्रम

× × ×

अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम किए गए हैं:—

(i) समानता के मूल अधिकार के अन्तर्गत धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिबंध किया गया है, लेकिन राज्य S.T और S.C के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है (अनुच्छेद 15)

(ii) समता के मूल अधिकार के अन्तर्गत राज्य के अधीन नियोजन या नियुक्ति के मामले में सभी नागरिकों को अवसर की समानता का निर्देश दिया गया है, लेकिन S.C, S.T के लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती है। (अनुच्छेद 16)

(iii) समानता के मूल अधिकार के अन्तर्गत ही अस्पृश्यता का उन्मूलन तथा इसके किसी भी रूप में प्रचलन का प्रतिबंध किया गया है। (अनुच्छेद 17)

(iv) अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए नागरिकों को प्रदत्त स्वतंत्रता के मूल अधिकार पर कानून द्वारा रोक लगाई जा सकती है। (अनुच्छेद 19)

(v) S.C & S.T को बंधक मजदूर बनाने के प्रसंग को ध्यान में रखते हुए बलात श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। (अनुच्छेद 23)

(vi) अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक एवं धार्मिक अधिकारों की रक्षा के सम्बन्ध में कहा गया है कि शिक्षा - संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा आदि के आधार पर किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। (अनुच्छेद 29)

(vii) बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में S.T के कल्याण हेतु कार्यभारी मंत्री की नियुक्ति की व्यवस्था की जाएगी। (अनुच्छेद 164)

Scanned with CamScanner

(viii) S.C & S.T क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष व्यवस्था करने के लिए कदम उठाए जाएँगे। (अनुच्छेद 244 और 244-क तथा पाँचवी व छठी अनुसूचियाँ)

(ix) S.C & S.T के लिए 1990 तक लोकसभा तथा राज्यों की विधान सभाओं में स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था करना आवश्यक है। (अनुसूचि 330, 332 तथा 334)

(x) केन्द्र सरकार को S.C क्षेत्रों मे प्रशासन तथा S.T के कल्याण के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं। (अनुच्छेद 339)

(xi) S.C & S.T की सूचियों मे विभिन्न जातियों और जनजातियों को सम्मिलित करने के लिए राष्ट्रपति और संसद को विशेष अधिकार दिए गए हैं। (अनुच्छेद 341, 342)

(xii) S.C, S.T के कल्याण तथा उनके हितों की रक्षा के लिए राज्यों मे जनजाति सलाहकार परिषदों तथा पृथक विभागों की स्थापना तथा केन्द्रों मे एक विशेष पदाधिकारी की नियुक्ति आवश्यक है। (अनुच्छेद 164, 338 तथा पाँचवी अनुसूची)

S. N. Choudhary
Marwari College
L.N.M.U